an>

Title: Need to control the rapidly depleting ground water level in the county.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल: केन्द्र सरकार ने वÂ◌ाऱ 2012 में ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का गठन किया तथा लखनऊ में इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय भी खोला गया। नियमत: किसी भी उद्योग को जल दोहन के लिए अथॉरिटी से अनुमति लेनी चाहिए किन्तु मेरठ की अधिकांश इकाइयों ने आवेदन तक नहीं किया। ...(व्यवधान) शासन हर वÂ◌ाऱ भूजल सप्ताह मनाता है तथा भूजल दोहन पर रिपोर्ट तैयार कर जल भंडार बचाने के लिए गाइडलाइन जारी करता है। किन्तु तीन वÂ◌ाऱ से ग्राउंड वाटर अथॉरिटी को अनसुना किया जा रहा है। ...(व्यवधान) क्षेत्रीय प्रदूÂ◌ाण नियंत्रण बोर्ड के नोटिस के बावजूद सिर्फ दर्जन भर इकाइयों में वÂ◌ा◌ाऱ जल संरक्षण पर कार्य हुआ। बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक मेरठ में 77 इकाइयों में से एक ने भी ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से भूजल दोहन की अनुमति नहीं ली। इन 77 इकाइयों में से बड़ी 31 औद्योगिक इकाइयां ही रोजाना करीब 95 हजार किलोलीटर भूगर्भ जल सोख लेती हैं जबकि इसके सापेक्ष 42 हजार किलोलीटर पानी जिसमें तमाम विÂ◌ा◌ाक्त तत्व होते हैं, काली नदी में गिरा दिया जाता है। परिणामस्वरूप मेरठ में पेयजल 40 मीटर गहराई तक खिसक गया है तथा काली नदी देश की सर्वाधिक प्रदूÂि◌ात नदियों में शामिल हो गई है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि अनियंत्रित भूजल दोहन को रोका जाए, प्रदूÂि◌ात पानी को अनिवार्यत: शोधित करके ही नदी में डाला जाए तथा वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

माननीय अध्यक्ष : *m02 श्री पी.पी. चौधरी को श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाए गए विÂ◌ाय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर - उपस्थित नहीं।